







फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर
धीरी यगीरह बनाम मधुलता यगीरह

किस्म मुकदमा- आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0

नम्बर 58 वर्ष-2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए
31.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री नारायण राव ने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के तहत पेश किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दरतावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक21-6-24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
21-6-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक16-8-24 को पेश हो 	
16-8-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक16-10-24 को पेश हो 	
16-10-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। तलबी होकर पत्रावली दिनांक 13-11-24 को पेश हो  उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
13-11-24	बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक20-11-24 को पेश हो 	
20-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम लाजरी। अदम परबी में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता	

मु.न. 58/24 चीसी / मधुलता

श्री परावली फैसल कुमार होकर नम्बर से
कम हो।

Alvin
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)